

## न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 192/2022

दायर दिनांक 27.05.2022

## वादीगण

1. सलीम मोहम्मद पुत्र रमजान खां
2. नजमा पत्नि पीर मोहम्मद
3. अबिदा बानु पत्नि ताज मोहम्मद
4. मुकीना बानों पत्नि सफी मोहम्मद  
समस्त जाति घोबी
5. रजाक स्या पुत्र इदू स्या जाति  
साई बनाम्
6. अलादीन पुत्र चांद मोहम्मद  
जाति मणिहार
7. जुबैदा बानु पत्नि बाबु स्या जाति  
घोबी निवासीगण साईयों का  
मौहल्सा, धनकोली, तहसील  
डीडवाना जिला नागौर राज0।

## प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

## दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व रथाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

## उपस्थित:-

1. श्री केशव औझा वकील वादी।


--= निर्णय =--

दिनांक 23.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे0 बरानी 2. खसरा सं0 1129 रकबा 0.0700 हैक्टे0 गै0 मु0 दानी, खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 बरानी 2. खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 हैक्टे0, खसरा सं0 1132 रकबा 0.1600 हैक्टे0 बरानी 2. खसरा सं0 1221/1669 रकबा 0.0100 हैक्टे0 बरानी 1. खसरा सं0 401/1516 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0 मु0 सुरता, खसरा सं0 945/1660 रकबा 0.0100 हैक्टे0 बरानी 1 कुल खसरे 9 कुल रकबा 4.2400 हैक्टे0 बने हैं, जिनके पुराने खसरा सं0 709 रकबा 17 बीघा 09 बिरवा, खसरा सं0 710 रकबा 6 बीघा 12 बिरवा, खसरा सं0 711 रकबा 7 बीघा 02 बिरवा, खसरा सं0 712 रकबा 01 बीघा 12 बिरवा, खसरा सं0 713 रकबा 0.09 बीघा, खसरा सं0 714 रकबा 09 बीघा 14 बिरवा है। जो तथ्य सम्वत् 2006 से 2076 की जमाबन्दी में स्पष्ट है।

यह है कि राजस्व कारतकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमियों में से खसरा सं0 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे0 बरानी 2 पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा कारत वादीगण के पूर्वजों की पैत्रिक दीना वल्द भुरा सा व रसूल आलुसा की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के पिता के पिता की पूर्वजों की रही है, उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा कारत वादीगण का बराबर-बराबर हक हिस्सा की रही है।

यह है कि राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादीया के पूर्वजों दीना वल्द भुरासा व रसूला वल्द आलुसा की रही है। उनके स्वर्गवास के

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)



पश्चात वादीगण की पैत्रिक व कब्जा काश्त की बराबर-बराबर की ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीया का है। प्रार्थना वादी इस प्रकार है :-

यह है कि मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख नि० धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० में राजस्व भूमि खसरा सं० 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे० बरानी 2 जो वादीगण की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं० 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे० बरानी 2 की भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।


वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-


अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख नि० धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० में राजस्व भूमि खसरा सं० 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे० भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

  
(कार्तिकेय शीषा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डी.डी. (नागौर)  
डी.डी. (नागौर)  
डी.डी. (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया

गया।

  
(कार्तिकेय शीषा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डी.डी. (नागौर)  
डी.डी. (नागौर)  
डी.डी. (नागौर)

डिक्री वमुकद्दमें इब्बदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 192/2022

दायर दिनाँक 27.05.2022

**वादीगण**

1. सलीम मोहम्मद पुत्र रमजान खां
2. नजमा पत्नि पीर मोहम्मद
3. अबिदा बानु पत्नि ताज मोहम्मद
4. मुकीना बानों पत्नि सफी मोहम्मद समस्त जाति धोबी
5. रजाक स्या पुत्र इदू स्या जाति साई
6. अलादीन पुत्र चांद मोहम्मद जाति मणिहार
7. जुबैदा बानू पत्नि बाबु स्या जाति धोबी निवासीगण साईयों का मौहल्ला, धनकोली, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

**प्रतिवादीगण**

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव औझा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।


तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)